

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-8-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : डिण्डोरी

जिला : डिण्डोरी

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—मोहतरा	अधीक्षक, भू-अभिलेख
	2. नवीन ग्राम—चुनपथरी	(नियमित),
	प.ह.नं. 202.	जिला-डिण्डोरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-8-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-8-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-8-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the

Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Dindori

District : Dindori

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Mohotra	Superintendent of Land
	2. New Vill.—Chunpathri	Records (permanent),
	P.H.No.—202.	District—Dindori.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-10-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : मंदसौर

जिला : मंदसौर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—डिंगावखुर्द	अधीक्षक, भू-अभिलेख
	2. नवीन ग्राम—गांधी ग्राम	(नियमित),
	प.ह.नं. 28.	जिला मंदसौर.
2.	1. मूल ग्राम—गुजरदा	
	2. नवीन ग्राम—बुलगाढी	
	प.ह.नं. 07.	
3.	1. मूल ग्राम—धारिया खेड़ी	
	2. नवीन ग्राम—गुड़भेली	
	प.ह.नं. 09.	
4.	1. मूल ग्राम—डिंगांवमाली	
	2. नवीन ग्राम—बरडिया खेड़ी	
	प.ह.नं. 48.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
तहसील : सीतामऊ			जिला : मंदसौर		
5.	1. मूल ग्राम—भगौर 2. नवीन ग्राम—कल्याणपुरा, प.ह.नं. 31.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मन्दसौर.	16.	1. मूल ग्राम—अड़मालिया 2. नवीन ग्राम—लोड़ाखेड़ा प.ह.नं. 53.	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) जिला-मंदसौर
			तहसील : शामगढ़		
6.	1. मूल ग्राम—रहीमगढ़ 2. नवीन ग्राम—चाहखेड़ी प.ह.नं. 41.		17.	1. मूल ग्राम—बधुनिया 2. नवीन ग्राम—सुरावत का खेड़ा प.ह.नं. 33.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.
7.	1. मूल ग्राम—खेताखेड़ा 2. नवीन ग्राम—रायखेड़ा प.ह.नं. 26.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		
8.	1. मूल ग्राम—चिकला 2. नवीन ग्राम—मामादेव प.ह.नं. 32.		भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
9.	1. मूल ग्राम—खत्रुखेड़ी 2. नवीन ग्राम—नयाखेड़ा प.ह.नं. 76.		क्र. एफ 15-10-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-10-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.		
तहसील : दलौदा			जिला : मंदसौर		
10.	1. मूल ग्राम—चोसला 2. नवीन ग्राम—रामनगर प.ह.नं. 24.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		
तहसील : सुवासरा			जिला : मंदसौर		
11.	1. मूल ग्राम—बसई 2. नवीन ग्राम—आसपुरा 3. नवीन ग्राम—खड़धामनिया 4. नवीन ग्राम—हरिपुरा प.ह.नं. 01.	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.	Bhopal, the 26th June 2013		
तहसील : भानपुरा			F. No. 15-10-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—		
12.	1. मूल ग्राम—अन्तरालिया 2. नवीन ग्राम—गणेशपुरा प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.	SCHEDULE		
13.	1. मूल ग्राम—कैथुली 2. नवीन ग्राम—भीमपुरा प.ह.नं. 47.		Tahsil : Mandasaur		
14.	1. मूल ग्राम—रतनपुरा 2. नवीन ग्राम—नयागांव प.ह.नं. 30.		District :Mandasaur		
तहसील : मल्हारगढ़			S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
15.	1. मूल ग्राम—झाडा 2. नवीन ग्राम—चंदनखेड़ा प.ह.नं. 08.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला-मंदसौर.	(1)	(2)	(3)
			1.	1. Org. Vill.—Degawave-khurd 2. New Vill.—Gandhi Gram P.H.No.—28.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandasaur.
			2.	1. Org. Vill.—Gujarda 2. New Vill.—Bulgari P.H.No.—07.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3. 1. Org. Vill.—Dhariakheri 2. New Vill.—Gurbheli P.H.No.—09.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.		Tahsil : Malhargarh		District : Mandsaur
4. 1. Org. Vill.—Digaonmali 2. New Vill.—Bardiakheri P.H.No.—48.			15. 1. Org. Vill.—Jharda 2. New Vill.—Chandan- khera P.H.No.—08.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	
Tahsil : Seetamau	District : Mandsaur		16. 1. Org. Vill.—Aramalia 2. New Vill.—Lorakhara P.H.No.—53.		
5. 1. Org. Vill.—Bhagor 2. New Vill.—Kalyanpura P.H.No.—31.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.		Tahsil : Shamgarh	District : Mandsaur	
6. 1. Org. Vill.—Rahimgarh 2. New Vill.—Chahakheri P.H.No.—41.			17. 1. Org. Vill.—Baghunia 2. New Vill.—Surawat ka dera P.H.No.—33.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	
7. 1. Org. Vill.—Khetakhara 2. New Vill.—Raykhara P.H.No.—26.			By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.		
8. 1. Org. Vill.—Chikala 2. New Vill.—Mamadev P.H.No.—32.			भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
9. 1. Org. Vill.—Khatrukheri 2. New Vill.—Nayakhara P.H.No.—76.			एफ क्र. 15-13-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—		
Tahsil : Daloda	District : Mandsaur		अनुसूची		
10. 1. Org. Vill.—Chousla 2. New Vill.—Ramnagar P.H.No.—24.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.		तहसील : गोहद	जिला : भिण्ड	
Tahsil : Suwasra	District : Mandsaur		क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
11. 1. Org. Vill.—Basai 2. New Vill.—Aaspura 3. New Vill.—Khardhamnya 4. New Vill.—Haripura P.H.No.—01.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.		(1)	(2)	(3)
Tahsil : Bhanpura	District : Mandsaur		1. 1. मूल ग्राम—सर्वा 2. नवीन ग्राम—धमसा का पुरा प.ह.नं. 22.		अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला भिण्ड.
12. 1. Org. Vill.—Antralia 2. New Vill.—Ganeshpura P.H.No.—18.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.		2. 1. मूल ग्राम—शेरपुर 2. नवीन ग्राम—पटकुईयापुरा प.ह.नं. 17.		
13. 1. Org. Vill.—Kaithuli 2. New Vill.—Bhimpura P.H.No.—47.			3. 1. मूल ग्राम—गुरीखा 2. नवीन ग्राम—लटकनपुरा प.ह.नं. 25.		
14. 1. Org. Vill.—Ratanpura 2. New Vill.—Nayagaon P.H.No.—30.					